



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
 (A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

सुशील बी. पखीडे

SUSHIL B PAKHIDE

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

Assistant Registrar (Academic)

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक : 005/प्र.स./2019-20/01/496

तिथि : 03.07.2019

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्र.: 005/प्र.स./2019-20/01/488 तिथि: 27.06.2019 द्वारा प्रवेश-प्रक्रिया 2019-20 के अंतर्गत जनसंचार विभाग हेतु विज्ञापित पी-एच.डी. की सीटें 02 से बढ़ाकर 05 की गयी थी जिसमें निम्नानुसार पुनःसंशोधन किया जाता है-

‘प्रवेश-प्रक्रिया 2019-20 के अंतर्गत जनसंचार विभाग हेतु विज्ञापित पी-एच.डी. की सीटें 02 से बढ़ाकर 03 की जाती है। कुल तीन 03 सीटों के लिए प्रवेश होगा। बढ़ायी गयी 01 सीट का शोध क्षेत्र ‘सामाजिक, सांस्कृतिक नव निर्माण में पत्रकारिता की भूमिका’ रहेगा।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सुशील बी. पखीडे)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. संकायाध्यक्ष, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ।
4. अध्यक्ष, प्रवेश समिति।
5. अध्यक्ष, जनसंचार विभाग।
6. प्रभारी, परीक्षा विभाग।
7. प्रभारी, अकादमिक विभाग।
8. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
9. संबंधित फाइल।